



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

८ वैशाख १९३९ (६०)

(सं० पटना ३४२) पटना, शुक्रवार, २८ अप्रैल २०१७

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचना  
२६ अप्रैल २०१७

सं० १०/रा. फ्री होल्ड-१३/२०१६-२२८६—निबंधन अधिनियम, १९०८ की धारा-७८ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित सम्पदाओं को लीज होल्ड अधिकार से फ्री-होल्ड अधिकारों में सम्परिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण दस्तावेज में वर्णित सम्परिवर्तन हेतु भुगतान किए गए प्रतिफल की राशि पर ही निबंधन शुल्क तालिका के अनुच्छेद-A(1) की दर से निबंधन शुल्क की प्रभार्यता नियत करते हैं।

०२. यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

२६ अप्रैल २०१७

सं० १०/रा. फ्री होल्ड-१३/२०१६-२२८६—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 26th April 2017*

No. 10/Ra.-Free Hold-13/2016-2286—In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to fix the chargeability of Registration fee payable at the rate of Article A(1) of Table of Registration fee on the document of conveyance relating to conversion of lease hold rights into free hold

rights of the properties allotted by Bihar State Housing Board, Only on the amount of consideration paid for the conversion as described in the document.

**02.** It shall come into force with immediate effect.

By the order of the Governor of Bihar,

**Amir Subhani ,**

*Principal Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 342-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>